प्रेषक,

राजीव रौतेला,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 25 नवम्बर, 2014**

विषय :- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत मै0 शयाम इण्टर प्राइजेज, 44 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद के दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के विस्तारीकरण हेतु स्वीकृत अनुदान की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-1518/खा0प्र0मि0/737/14-15/लखनऊ दिनांक-07.11.2014 व अन्य का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मै0 शयाम इण्टर प्राइजेज, 44 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद के दुग्ध प्रसंस्करण इकाई के विस्तारीकरण हेतु स्वीकृत रू0-50.00 लाख अनुमोदित किया गया था जिसके सापेक्ष शासनादेश संख्या-38/235/58-2-2014-900(13)/2014, दिनांक-07-08-2014 द्वारा प्रथम किस्त धनराशि रू0-25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र) निर्गत की जा चुकी है।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मुख्य योजना हेतु बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक कुल रू0-19,60,17 हजार (रूपया उन्नीस करोड साठ लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

4. उपलब्ध धनराशि में से संस्था को द्वितीय किस्त कुल धनराशि रू0-25.00 लाख (रूपया पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन निदेशक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा कराया जायेगा।

(2) अनुदान हेतु स्वीकृत द्वितीय किश्त की धनराशि जारी/व्यय करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा किया जायेगा तथा उसकी मासिक आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2015 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(7) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मिशन तथा वित्त नियंत्रक उत्तरदायी होंगे।

(8) भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(9) उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(10) यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22/07/2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजीव रौतेला
विशेष सचिव।

संख्या-56/1133(1)/58-2-2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड,इलाहाबाद।
(2) संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(3) आयुक्त/जिलाधिकारी, इलाहाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(4) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(8) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in